1— बीज प्रमाणीकरण के लिये आवेदन,निरीक्षण शुल्क एवं पंजीयन शुल्क

बीज प्रमाणीकरण के इच्छुक किसान, संस्थाएं इत्यादि बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

1.1 संस्था बीज उत्पादन हेतु संबंधित विभागों से पंजीकृत हो।

1.2 बीज प्रमाणीकरण कार्य हेतु बीज उत्पादक/संस्थायें/ विपणनकर्ता संस्थाओं का बीज प्रमाणीकरण संस्था में संस्थागत पंजीयन होना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन एक वर्ष एवं तीन वर्ष हेतु निम्न शर्तो के तहत् होगाः—

अ—एक वर्ष के लिये पंजीयन/नवीनीकरण हेतु—

1— उत्पादक संस्था पंजीयन हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट—। अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2— जिन बीज उत्पादक संस्थाओ के स्वयं के स्वामित्व वाले भण्डार गृह एवं उसमें स्थापित स्वयं के बीज प्रक्रिया केन्द्र नहीं होंगे, ऐसी उत्पादक संस्थाओं का पंजीयन/नवीनीकरण एक वर्ष हेतु ही किये जावेगे।

3— उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक वैद्य होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

ब—तीन वर्ष के पंजीयन/नवीनीकरण हेतु—

1— उत्पादक संस्था पंजीयन हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट—। अनुसार निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

2— उक्त पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) से प्रारंभ होकर तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैध होगा। वैद्यता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित संभागीय

कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

3– बीज उत्पादक संस्था के पास स्वंय के स्वामित्व के भण्डार गृह में स्थापित स्वंय का बीज प्रक्रिया केन्द्र होना अनिवार्य है।

4– आवेदन के साथ स्वयं के स्वामित्व का भण्डार गृह होने से संबंधित समस्त अभिलेख जैसे भण्डार गृह का मानचित्र (माप एवं क्षमता सहित), रजिस्ट्री एवं शपथ–पत्र (निर्धारित परिशिष्ट–ग्प) आदि की सत्यापित छायाप्रति भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगी।

5– तीनो वर्षो का कुल शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

– पंजीयन शुल्क रूपये 6000/–

– नवीनीकरण शुल्क रूपये 2250/–

6– तीन वर्ष की अवधि हेतु पंजीयन/नवीनीकरण की स्थिति में नियत पंजीकृत बीज प्रक्रिया केन्द्र/भण्डार गृह में किसी भी प्रकार का आंतरिक/बाह्य परिवर्तन की स्थिति में 15 दिन पूर्व विवरण सहित सूचना संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को देनी होगी। बिना पूर्व सूचना के इस प्रकार के परिवर्तन पाये जाने पर जांच उपरांत उक्त उत्पादक संस्था का पंजीयन/नवीनीकरण निरस्तीकरण की कार्यवाही संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा प्रस्तावित की जावेगी।

1.2.1 पंजीकृत उत्पादक संस्था/उत्पादक द्वारा प्रमाणीकरण कार्यो में अनियमितताओं की पुष्टि होने पर उक्त कार्य संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त किये जावेगे। परन्तु इस कार्यवाही के पूर्व संबंधित संस्था को सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट आदेश द्वारा निराकरण किया जावेगा।

1.2.2 यदि किसी पंजीकृत बीज उत्पादक संस्था द्वारा एक वर्ष (लगातार दो फसल मौसम यथा रबी, खरीफ) में कोई भी बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया जाता है, तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उत्पादक संस्था पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

1.2.3 बीज उत्पादक संस्था पंजीयन/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन की जांच का पूर्णतः उत्तरदायित्व संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी का होगा। संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदनों की जांच उपरांत कमियों की पूर्ति वाले आवेदन संबंधित को भेज दिये जावेंगे। जिनकी कमी पूर्ति उत्पादक संस्था द्वारा आगामी 15 दिवस में की जाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा आवेदनो का निराकरण 30 दिन में करने की बाध्यता होगी।

1.3 इच्छुक कृषक भी उत्पादक संस्थाओं की तरह अपना पंजीयन करा सकते हैं।

1.4 बीज उत्पादक संस्थाओं/कंपनियॉ/समितियां/कृषक उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप लिये जाने वाले बीज उत्पादन कार्यक्रम की जिलेवार संभावित जानकारी संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को, निम्नानुसार अवधि में प्रस्तुत करना होगाः–

–खरीफ बीज उत्पादन कार्यक्रम.....15 जून तक।

–रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम

अ–शीघ्र बोने वाली फसलों हेतु.....15 सितम्बर तक।

(सरसों, तोरिया, मसूर एवं अलसी)

ब–रबी की शेष फसलो हेतु.....30 सितम्बर तक।
स–ग्रीष्म फसलों हेतु.....5 मार्च तक।

1.5 बीज उत्पादक संस्थाओ द्वारा उत्पादन कार्यक्रम हेतु पैतृक बीज के उपयोग (वितरण) के पूर्व बीज स्टाक का भौतिक सत्यापन ै;जवबा चेलेपबंस टमतपपिबंजपवदद्ध संस्था के संबंधित संभाग के अधिकारी से

कराना अनिवार्य होगा। अन्य प्रदेशो से बीज प्राप्त होने की स्थिति में बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 (3) में निर्धारित प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। परिशिष्ट–प्ट में उल्लेखित निर्धारित तिथि तक इस हेतु बीज उत्पादक संस्था को संभागीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसका भौतिक सत्यापन संबंधित कार्यालय द्वारा सात कार्यकारी दिवस में किया जावेगा।

1.6 बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु कृषक को दिये जाने वाले बीज के चालान/बिल/कैशमेमो में बीज का लाट क्रमांक, वजन व बोरियों की संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा। बीज के चालान/बिल/कैशमेमो में प्रदायकर्ता के साथ–साथ बीज प्राप्तकर्ता के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

1.7 फसल पंजीयन हेतु बीज उत्पादक संस्था/प्रक्रिया केन्द्र/वितरण केन्द्रों के प्रभारी एवं आवेदक कृषक, निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट–।।) पूर्ण रूप से व सही–सही भरकर आवश्यक सभी संलग्नको ;म्दबसवेनतमेद्ध सहित प्रस्तुत करेंगें। इन अभिलेखों में प्रदाय बीज लाट का टैग, प्रजनक बीज होने पर उसका लेबल व प्रजनक प्रमाण–पत्र, मानीटरिंग टीम रिपोर्ट, प्रदाय बीज का बिल/कैशमेमो, भू–अभिलेखों (बी–1) की सत्यापित प्रति एवं कंडिका 9 के अन्तर्गत उल्लेखित संबंधित अभिलेखों सहित निर्धारित अंतिम तिथि तक संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

1.7.1 बीज उत्पादन कार्यक्रम के पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में यथा स्थान बीज उत्पादक कृषक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन स्थानीय जनप्रतिनिधि (ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत एवं नगर पंचायत/नगर पालिका/निगम के सदस्य तथा विधायक/सांसद) या स्थानीय शासकीय अधिकारी से कराया जाना होगा।

1.8 प्रत्येक फसल/किस्म व श्रेणी के लिए पूर्ण रूप से सही भरा हुआ अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा ।

1.9 प्रत्येक कृषक का पंजीयन प्रत्येक मौसम में प्रत्येक उत्पादक संस्था के लिये अलग अलग होगा।

1.10 आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख संलग्न होना आवश्यक है ।

1.10.1 बीज उत्पादन के लिये उन्ही कृषकों के नाम से पंजीयन मान्य किया जावेगा, जिन्होंने अपने स्वयं/संयुक्त खातेदारो के खाते की भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है। शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार लीज पर ली गई भूमि पर भी बीज उत्पादन मान्य किया जा सकेगा।

अ– व्यक्तिगत बीज उत्पादक कृषक (प्दकपअपकनंस ैममक ळतवूमत) द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ भू अभिलेख खसरा की नकल (बी–1) की छाया प्रतियॉ स्वप्रमाणित की जाकर संलग्न की जाना अनिवार्य होगा।

ब– शासकीय/अर्धशासकीय/निजी/अन्य बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न भू अभिलेख खसरा नकल (बी–1) की छायाप्रति बीज उत्पादक कृषक के साथ साथ बीज उत्पादक संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रभारी अधिकारी द्वारा भी सत्यापित की जाना अनिवार्य होगा।

स– बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा फसल पंजीयन आवेदन के साथ भू अभिलेख खसरा नकल (बी–1) की छायाप्रति बीज

उत्पादक कृषक के साथ–साथ समिति अध्यक्ष द्वारा भी सत्यापित की जाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अभिलेख प्रमाणित/सत्यापन करने वाले कृषक/उपरोक्त उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर के साथ नाम एवं दिनांक अंकित किये जावेंगे।

1.10.2 प्रथम फसल निरीक्षण के समय बीज स्त्रोत की पुष्टि करने हेतु संस्था के अधिकृत अधिकारी को आवश्यक प्रमाण जैसे बोये बीज की खाली बोरियां, टैग्स, लेबिल, लेड सील, बीज का बिल/कैशमेमो एवं बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था का भौतिक सत्यापन प्रपत्र, प्रजनक बीज होने पर इसकी मानीटरिंग रिपोर्ट की प्रति इत्यादि संबंधित बीज उत्पादक को प्रस्तुत करना होगा।

1.10.3 बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था द्वारा प्रमाणीकरण शुल्क की राशि निर्धारित दरों पर देय होगी जिन्हें परिशिष्ट–प्ट में निर्धारित अंतिम तिथियों के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। एक एकड़ से कम क्षेत्र को निरीक्षण शुल्क के लिये पूर्ण एकड़ माना जाकर शुल्क लिया जावेगा। वर्तमान निर्धारित शुल्क (परिशिष्ट–प्सस) पर संलग्न है।

1.10.4 फसल पंजीयन हेतु प्रत्येक ऋतु में बीज उत्पादक संस्थाओं को उनके द्वारा आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रस्तुत समस्त आवेदनो एवं उनके साथ संलग्न सभी अभिलेखों के सही एवं प्रमाणिक होने का नोटराइज्ड़ शपथ पत्र (।ापिकंअपज) रूपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उस संस्था का मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि/प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट–ग्प्प अनुसार)।

बीज उत्पादक संस्था द्वारा यदि अवैधानिक अभिलेख प्रस्तुत कर फसल पंजीयन/प्रमाणीकरण कार्य कराया जाना पाया जाता है, तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा जांच उपरांत संबंधित उत्पादक

संस्था/कृषक के विरूद्ध नियमानुसार पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जावेगी। इसके अतिरिक्त उत्पादक संस्था का संस्थागत पंजीयन निरस्त किया जाकर समस्त प्रमाणीकरण कार्यवाही प्रतिबंधित की जावेगी एवं बीज उत्पादक संस्था द्वारा प्रमाणीकरण कार्य हेतु जमा शुल्क राशि संस्था द्वारा वापस नहीं की जावेगी।

1.11 बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु यथा संभव एक उत्पादक को एक ही लाट का बीज दिया जाए।

1.12 प्रत्येक बिंदु की सही–सही जानकारी आवेदन–पत्र में अंकित हो व उत्पादक संस्था उसे सत्यापित कर, क्षेत्र में पदस्थ बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि को सौंपेगे।

1.13 संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों की जानकारी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

1.14 आवेदन–पत्र (परिशिष्ट–प्प) के अनुसार निर्धारित तिथियों तक या आवश्यकतानुसार ऋतु विशेष में की गई वृद्धि अनुसार स्वीकार होंगे।

1.15 अपूर्ण व असत्य जानकारी देने पर आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

1.16 यदि कोई आवेदक अपरिहार्य कारणों, अतिवर्षा या सूखे के कारण बीज नहीं बो पाता है या फसल नष्ट हो जाती है तो पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 15 दिन के अंदर, आवेदन में अंकित संपूर्ण या आंशिक क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम से वापस करा सकता है, ऐसी स्थिति में केवल उतने ही फसल क्षेत्र के निरीक्षण शुल्क की राशि वापस/समायोजित हो सकेगी जिसका बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया हो।

1.17 संस्थागत/कृषक पंजीयन, उत्पादन कार्यक्रम पंजीयन हेतु अनिवार्य होगा।

1.18 बीज उत्पादक संस्था/बीज उत्पादक के मैदानी कार्यकर्ता बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी को खेत चिन्हित करने में सहायता

करेंगे तथा संस्था के अधिकारी उनके भ्रमण के दौरान प्रमाणीकरण संबंधी उत्पादकों को तकनीकी जानकारी देंगे, जैसे भिन्न पौधे, संदूषक, खरपतवार आदि निरीक्षण के पूर्व निकालने हेतु जानकारी देंगे।

1.19 बीज उत्पादक कृषक के खेत का फसल की निरीक्षण अवस्था अनुसार नहीं होने पर जानकारी उत्पादक/उत्पादक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। जिन उत्पादकों का निरीक्षण नहीं हो पाता है ऐसे उत्पादको की जानकारी प्रथम निरीक्षण से पूर्व बीज प्रमाणीकरण संस्था संबंधित उत्पादक संस्था को उपलब्ध करायेगी। मौसम की प्रतिकूल दशा में अथवा ऐसी दशा में जब अपरिहार्य कारणों से निरीक्षण नहीं हो पाया हो तो ऐसे कृषकों का निरीक्षण शुल्क बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वापस किया जावेगा। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसके अलावा कोई अन्य प्रभार नहीं दिया जावेगा।

1.20 परिशिष्ट प्ट के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।